

(509)

(4) ग्राम परिषद ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसे वह आवश्यक समझता है, नियुक्त कर सकता है;

बशर्ते कि सिवाय प्रशासक की पूर्व मंजूरी के कोई भी पद सृजित न किया गया हो ।

(5) सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें इस प्रकार होगी, जैसे निर्धारित की गई है ।

24. (1) ग्राम परिषद के बैठकों का समय और स्थान और उसके पश्चात उस बैठक की कार्यवाही इस प्रकार होगी, जैसा निर्धारित है ।

ग्राम परिषद की बैठक

(2) ग्राम परिषद का कोई सदस्य किसी भी बैठक में संकल्प पारित कर सकता है और ग्राम परिषद के प्रशासन से संबंधित मामले में फर्स्ट कैप्टन और सैकेंड कैप्टन के समक्ष उस प्रकार से प्रश्न रख सकता है, जैसा निर्धारित है ।

(3) ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का दो तिहाई के समर्थन द्वारा पारित किसी संकल्प को छोड़कर ग्राम परिषद के किसी संकल्प को ग्राम परिषद द्वारा इसके पारित किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर परिवर्तित, संशोधित, भिन्न अथवा रद्द नहीं किया जाएगा ।

25. (1) बशर्ते कि ऐसे नियंत्रण और प्रतिबन्धन जैसे भी निर्धारित किया जाए इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राम परिषद समितियों की नियुक्ति कर सकता है और उल्लेख किए गए अनुसार इसके ऐसे कर्तव्यों और इसके कार्यों का निर्वहन करेगा ।

समिति

2. समिति में पाँच से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे और निर्धारित किए गए कारणों और तरीके से समिति को समाप्त (विघटन) अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है ।

26. ग्राम परिषद का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही किसी रिविट के पाए जाने अथवा ग्राम परिषद के गठन में कोई त्रुटि होने अथवा इसकी कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा ।

रिविटों के विद्यमान होने के कारण कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।

अध्याय - IV

ग्राम परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य

27. (1) ग्राम परिषद की निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक ग्राम परिषद का यह कर्तव्य है कि द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मामलों के सम्बन्ध में इसके क्षेत्राधिकार के भीतर उचित प्रावधान रखे ।

ग्राम परिषद के कर्तव्य और कार्य

(2) उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्राम परिषद गाँव क्षेत्र के भीतर कोई अन्य कार्य अथवा उपाय जिसके तहत ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा या सामाजिक और/अथवा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रावधान कर सकता है ।

28. (1) ग्राम परिषद सभी सड़कों, गलियों, पुल, पुलिया और इसके निर्देश के अंतर्गत अन्य सम्पत्तियाँ, जिसका प्रबन्धन और नियंत्रण धारा 35 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा किया जाता है, के रख-रखाव और इसके मरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य करें और विशेषकर -

विशेष सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद का नियंत्रण

(क) ऐसे किसी सड़क को चौड़ा करना, खोलना, बड़ा करना अथवा अन्यथा ऐसे किसी सड़क, पुल अथवा पुलिया की मरम्मत करना तथा ऐसे सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना तथा वृक्षों का संरक्षण करना ;

(ख) धारा 35 की उप धारा (1) के खण्ड ग में बताए गए जल स्रोत को गहरा करना अथवा अन्य सम्पत्ति का सुधार करना ; और

(ग) सार्वजनिक सड़क अथवा गली के किसी झाड़ी अथवा पेड़ शाखा को काटना ।